राजस्व अपील संख्या 379/2022
अनवान
बाग सिह बनाम तहसीलदार सेखाला वगैरा

दिनांक 11–7–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा प्रकरण संख्या ..../2022 अनवान तहसीलदार सेखाला बनाम ग्रामवासी अलीदासनगर मे पारित आदेश दिनांक 30–5–2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । उक्त अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र भी पेश किया गया है । उक्त अपील मे एक केवियट प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री रोशनलाल द्वारा प्रस्तुत किया गया है ।
वकील अपीलांट एवं केवियट अधिवक्ता उपस्थित । अपीलांट अधिवक्ता एवं केवियट अधिवक्ता की अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–5–2022 का अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन के संबंध मे चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया गया । जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा प्रकरण संख्या ..../2022 मे पारित आदेश दिनांक 30–5–2022 के कम मे प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारो को नोटिस जारी कर तामिली पश्चात उनकी उपस्थिति मे नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण किया जावें । वक्त मौका निरीक्षण संबंधित पक्षकारो/हितबद्ध लोगो की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा भी तैयार किया जावे । इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय उक्तानुसार तैयार मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा तथा अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारो की सुनवाई पश्चात प्रकरण का विधिवत निस्तारण करे । यदि मौके पर कदीमी रास्ता चालू है तो उसे बंद नही किया जावे । उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर